उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (लेखा परीक्षा) अनुभाग-2
संख्या- 8/2021/आडिट-2/**74420/10-25001(001)/1/2021-4-**
लखनऊ : दिनांक 28 जून, 2021

<u>विज्ञप्ति/नियुक्ति</u>

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य चयन/दिव्यांगजन-बैकलॉग/विशेष चयन) परीक्षा, 2018 के परिणाम के आधार पर जिला लेखा परीक्षा अधिकारी/सहायक निदेशक के पद पर रू0 15600-39100, ग्रेड पे-5400 (पुनरीक्षित वेतनमान-वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 रू0 56,100/- से 1,77,500/-) के वेतनमान में चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जिला लेखा परीक्षा अधिकारी/सहायक निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 के पद पर नियुक्त करते हुए उनके नाम के सम्मुख अंकित जनपद में तैनात किया जाता है:-

क्र0	नाम	पता	तैनाती जनपद
1	2	3	4
1.	श्री महेन्द्र कुमार पुत्र श्री राम तवंकल	किचकिला, जंगाही रोड, प्रयागराज-221503, उत्तर प्रदेश	गाजीपुर
2.	सुश्री सीमा चन्द्रवंशी पुत्री श्री दिनेश चन्द्रवंशी	निवासी सी-22/15 गली नं0-1 नियर एम0सी0डी0 प्राइमरी विद्यालय, गामड़ी विस्तार, 5वॉ पुस्ता, उत्तर पूर्वी दिल्ली-110053	बागपत

2- उपरोक्तानुसार अभ्यर्थियों की नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी:-

(1) अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश स्थानीय निधि लेखा-परीक्षा सेवा नियमावली-2015 में दी गयी व्यवस्था के अन्तर्गत परिवीक्षा पर रखा जाता है तथा परिवीक्षा अवधि संतोषजनक रूप से पूर्ण करने पर उक्त नियमावली की व्यवस्थानुसार स्थायीकरण किया जायेगा। जिला लेखा परीक्षा अधिकारी/सहायक निदेशक के संवर्ग में अन्य अधिकारियों के साथ ज्येष्ठता का निर्धारण सुसंगत नियमों के अनुसार बाद में किया जायेगा।

(2) अभ्यर्थी की सेवायें समय-समय पर संशोधित उत्तर प्रदेश स्थानीय निधि लेखा-परीक्षा सेवा नियमावली-2015 के प्राविधानों से शासित होगी तथा समस्त अन्य सेवा शर्तें भी उन पर लागू होगी जो समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित की जाये।

(3) यदि पुलिस सत्यापन रिपोर्ट/स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो यह नियुक्ति निरस्त की जा सकती है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि जिला लेखा परीक्षा अधिकारी/सहायक निदेशक के पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक होने की दशा में इस आदेश के प्राप्ति के एक माह के भीतर निम्नानुसार सूचनाओं/प्रमाण-पत्रों सहित कार्यभार ग्रहण करने हेतु निदेशक, मुख्यालय, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, प्रयागराज अथवा सम्बन्धित मण्डल के उप निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 के समक्ष अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे :-

(क) केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अन्तर्गत अब तक की गयी सेवा के सम्बन्ध में घोषणा।

(ख) अपने कर्जदार न होने की घोषणा।

(ग) एक से अधिक पत्नी/पति न होने की घोषणा।

(घ) दहेज न लिये जाने विषयक प्रमाण पत्र।

(च) समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित घोषणा, जिसके वे स्वामी हों।

(छ) संलग्न प्रपत्र में निजी विवरण।

(ज) राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित पासपोर्ट साइज का एक नवीनतम फोटोग्राफ।

(झ) राजपत्रित अधिकारी का चरित्र सम्बन्धी दो नवीनतम प्रमाण-पत्र।

(ञ) इण्डियन आफिसियल सिक्रेट्स ऐक्ट, 1923 के प्राविधानों को पढ़े जाने के सम्बन्ध में घोषणा।

उपरोक्त सभी प्रपत्र विभागीय वेबसाईट http://shasanadesh.up.gov.in पर उपलब्ध हैं।

4- यह भी सूचित किया जाता है कि यदि एक माह के भीतर वह कार्यभार ग्रहण करने हेतु निदेशक, मुख्यालय, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, प्रयागराज अथवा सम्बन्धित मण्डल के उप निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 के समक्ष उपस्थित नहीं होते हैं तो यह समझा जायेगा कि वह उक्त पद पर नियुक्ति के इच्छुक नहीं हैं और तद्नुसार उनके नियुक्ति/अभ्यर्थन को निरस्त करने के सम्बन्ध में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी।

5- उत्तर प्रदेश स्थानीय निधि लेखा-परीक्षा सेवा नियमावली-2015 में सीधी भर्ती से चयनित अभ्यर्थियों के लिए विहित प्रशिक्षण की व्यवस्था के अनुसार प्रशिक्षण आदेश पृथक् से निर्गत किये जायेंगे।

संजय कुमार
सचिव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, प्रयागराज ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3. सम्बन्धित मण्डल के उप निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित अभ्यर्थी को जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण कराते हुए कार्यभार प्रमाण पत्र की प्रति एवं अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों की प्रतियां निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज एवं वित्त (लेखा परीक्षा) अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
4. सम्बन्धित अभ्यर्थी (रजिस्टर्ड)।
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
6. कार्मिक अनुभाग-4 को उनके पत्र संख्या-आ-468/का-4-2020, दिनांक 11.11.2020, पत्र संख्या-आ-589/का-4-2020, दिनांक 16.12.2020 एवं पत्र संख्या-65/आ/ का-4-2021, दिनांक 18.03.2021 के सन्दर्भ में।
7. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0 को गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सजीवन
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।